"TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3 SUB-SECTION (i)"

Government of India
Department of Atomic Energy

Anushakti Bhavan
C.S.M. Marg,
Mumbai-400 039.

No:20/1/6/87-CCS/ 946

31/10/ 1996

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the Department of Atomic Energy, namely:-

1. Short title and commencement :

(1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Private Secretary) Recruitment Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay :

The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.:

The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

..../

4. Disqualifications : No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :

Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes,/Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

.../

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Private Secretary	11*	General Central Service, Group 'B' (Gazetted) Ministerial	Rs.2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500	Selection

* Subject to variation depending on work load in the DAE Secretariat.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
No.	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled in by various methods
9	10	11
Not applicable	One year	By promotion - 100%

In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer/grades from which promotional deputation/ transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
By Promotion from among Personal Assistants (Rs.1640-60-2600-EB-75-2900) with 8 years regular service in the grade Note : 1. The crucial date for computing the period of eligibility will be 1st January of the year if the DPC is held during the first half of the year and 1st July of the year if the DPC is held during the second half of the year. Note : 2. The eligible candidates are required to qualify in a stenography test of 100 words per minute of 7 minutes duration to be transcribed in 35 minutes. Knowledge of word processing is compulsory while taking the stenography test. The candidates who qualify in the stenography test are required to appear for an objective test followed by personal interview for selection.	1. Additional Secretary/ Joint Secretary in charge of Administration - Chairman 2. Director/Deputy Secretary in charge of cadre - Member 3. Director/Deputy Secretary in charge of Administration - Member	Department of Atomic Energy is exempted from consultation with Union Public Service Commission vide Order No. 18/4/51-Ests(B) dated 1/9/58 of Ministry of Home Affairs

.../

In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer/grades from which promotional deputation/ transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14

<u>Note</u> : 3. Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation, if prescribed.

(P. Venugopalan)
Dy. Secretary to the Govt. of India

"भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ"

भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

अणुशक्ति भवन,
छ. शि. म. मार्ग,
मुंबई 400 039

सं. 20/1/6/87-सीसीएस/ 946

तारीख 31\10\1996

अ धि सू च ना

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (निजी सचिव) भर्ती नियम, 1996 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि**: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हताएं** : वह व्यक्ति -

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा [पेंशन] नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
निजी सचिव	11 *	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' [राजपत्रित] अनुसचिवीय	2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रु.	चयन	नहीं	लागू नहीं होता

* डी ए ई सचिवालय में कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	एक वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
11	12
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसे कार्मिक सहायक [1640-60-2600-द.रो.-75-2900 रु.] में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण : 1. पात्रता की अवधि की संगणना करने के लिए निर्णायक तारीख वर्ष की पहली जनवरी तब होगी जब विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक, वर्ष के प्रथमार्ध में आयोजित की जाती है और यह तारीख वर्ष की पहली जुलाई तब होगी जब विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक वर्ष के उत्तरार्ध में आयोजित की जाती है । टिप्पण : 2. पात्र अभ्यर्थियों से आशुलिपि परीक्षा में अर्हित होने के लिए 7 मिनट के दौरान प्रतिमिनट 100 शब्द को 35 मिनट में नकल तैयार करना अपेक्षित है । आशुलिपि परीक्षा देते समय शब्द संसाधन का ज्ञान अनिवार्य है । ऐसे अभ्यर्थी जो आशुलिपि परीक्षा में अर्हित है, चयन के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा वैकल्पिक परीक्षा का पालन करने के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है । टिप्पण : 3.जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से एक वर्ष से अधिक से कम न हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि यदि विहित हो, सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

13---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
1. अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, प्रशासन का भारसाधक - अध्यक्ष 2. निदेशक/ उप सचिव, काडर का भारसाधक - सदस्य 3. निदेशक/ उप सचिव, प्रशासन का भारसाधक- सदस्य	गृह मंत्रालय के तारीख 1/9/58 के आदेश सं. 18/4/51 स्था(सी) के अनुसार परमाणु उर्जा विभाग को संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने से छूट प्राप्त है ।

पी वेणुगोपालन

(पी. वेणुगोपालन)

उप सचिव, भारत सरकार